एक नजर में

युवक का कुएं में मिला शव

इंदौर. चंदन नगर थाना क्षेत्र रहने वाले एक युवक का शव कुएं में पड़ा मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज जांच शुरु की. चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणी पटेल ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का शव कुएं में पड़ा मिला है. जांच पड़ताल में पता चला कि 30 वर्षीय युवक राहुल पिता नवलकिशोर कुशलाह का है. वह धरनावद का रहने वाला है. राहुल सोमवार को घर वालों से कह कर गया था कि वह काम पर जा रहा है. मंगलवार सुबह जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग उसकी तलाश में निकले थे. परिवार के लोग उसे फोन करते रहे, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ, इसी बीच वहां से गुजर रहे राहगीर ने मोबाइल की आवाज सुनी और फोन रिसीव किया, उसने ही परिवार को राहुल का मोबाइल कुएं के पास पड़ा होना बताया था. जिस पर परिजन मौके पर पहुंचे थे. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज जांच शुरु की.

दोस्तों की हरकतों से परेशान होकर की आत्महत्या

इंदौर. कृष्णबाग कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने दोस्तों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मामले में पुलिस जांच कर रही है. एमआईजी थाने के उप निरीक्षक प्रहाद सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार 10 अगस्त को सवा 11 बजे के लगभग 26 वर्षीय राहुल पिता राजेश डोंगरे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी. जिसमें फरियादी के परिजनों कि रिपोर्ट पर पुलिस ने अजीत, विक्की परमार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की.

ब्राउनशुगर तस्कर मां, बेटा व एक युवक गिरफ्तार

इंदौर. शहर में नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है. नारकोटिक्स विभाग ने 12.93 ग्राम ब्राउनशुगर के साथ एक मां बेटे को गिरफ्तार किया. वहीं क्राईम ब्रांच ने 30 ग्राम ब्राउनशुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया. दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. पुलिस उपायुक्त जोन 1 विनोद कुमार मीना ने बताया कि रिंग रोड की सर्विस रोड पर गश्त के दौरान सुनसान जगह पर एक्टिवा से एक युवक व एक महिला संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए. दोनों का रोक कर पूछताछ की तो उन्होंने काई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इस पर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 12.93 ग्राम ब्राउन शुगर मिली. जो लगभग 1 लाख 20 हजार रुपए की बताई जा रही है. आरोपी 22 वर्षीय आकाश पिता प्रेम वसुनिया व 42 वर्षीय महिला लक्ष्मी पति प्रेम वसुनिया दोनों मुसाखेडी स्थित भील कॉलोनी में रहने वाले आपस में मां बेटे है. पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक्टिवा भी जब्त कर दोनों मां बेटे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसी तरह क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खड़े गणपति मंदिर के पास रेलवे क्वार्टर के सामने एमआर 4 पर एक व्यक्ति ब्राउन शुगर देने आने वाला है. पुलिस ने घेरबंदी कर सदरबाजार थाना क्षेत्र के जूना रिसाला में रहने वाले 40 वर्षीय मुशरर्फ उर्फ मोईन खान को 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया. आरोपी पिछले कई दिनों से क्षेत्र में ड्राग्स की तस्करी कर रहा था. आरोपी मुशरर्फ खान के खिलाफ पहले से डकैती की योजना, अवैध शराब, मारपीट के कई अपराध दर्ज है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर. सर्व वेलफेयर कमेटी ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट टीम के साथ मिलकर आज़ाद नगर जे.के. मेमोरियल स्कूल में विशेष नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहकर एक स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करना था. नारकोटिक्स डिपार्टमेंट टीम ने छात्रों को नशे के खतरनाक प्रभावों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसानों पर विस्तार से प्रकाश डाला और छात्रों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी. सर्व वेलफेयर कमेटी के प्रमुख ने कहा इस संयुक्त कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के खतरों से सतर्क करना और उन्हें एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस तरह के जागरूकता अभियान से हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान छात्रों और शिक्षकों ने भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट टीम के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उनके सवालों के ज़वाब प्राप्त किए.

चौराहे पर डांस नहीं किया तो पीटा

इंदौर. रैनेसा कॉलेज के पास एक युवक से गाना गाने व डांस नहीं करने की बात पर पीटा. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरु की. एमआईजी थाने पहुंच स्कीम नम्बर 78 में रहने वाले 19 वर्षीय सिरीश पिता मनीष वर्मा ने पुलिस को बताया कि परीक्षित ललावत व उसके साथियों ने मुझसे बोला कि यहां रैनेसा कॉलेज के सामने पर डांस करो व गाना गा के बताओ तो मैंने उनसे बोला कि मुझे गाना नही आता है. इसी बात से नाराज होकर परीक्षित ललावत मुझसे गालियां देने लाग. मैंने गालियां देने से मना किया तो परीक्षित ललावत ने क्रिकेट खेलने वाले बेट से मेरे सिर पर मारा व उसके साथियों ने हाथ थप्पडों से मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे सिर मे चोट लगकर खून निकलने लगा तभी मै चिल्लाया तो मेरे दोस्त देवेन्द्र गुंजाल, माहीब जुनैजा, अजय ओनकर ने बीच बचाव किया. तभी ये लोग वहां से जाने लगे और जाते जाते बोले कि हमारी बात नही मानी तो तुझे जान से खत्म कर देगे.

घोड़ी दाना का जुआ खेलते 14 गिरफ्तार

इंदौर. क्राइम ब्रांच की टीम ने रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली से घोड़ी दाना का जुआ खेलते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार जोड़ी घोड़ी दाना के साथ ही लगभग एक लाख रुपए जब्त किए है. क्राईम ब्रांच व कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के सामने से बड़े स्तर पर घोड़ी दाना का जुआ खेल रहे 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यहां से कुलकर्णी भट्टा में रहने वाले दीपक पिता गोपाल ठाकुर, मल्हार पल्टन के रईस पिता इब्राहिम चौहान, डमरु उस्ताद के गुड़ी उर्फ अंकल पिता नारायण सिंह, माणिक बाग के मुज्जफर पिता सुभान खान, परदेशीपुरा के शशिकांत पिता व्रदावन दुबे, मल्हार गंज के सुरेश पिता कैलाश तेली, गोमा की फेल के राधेश्याम उर्फ बोना बॉस पिता रामगोपाल, राजकुमार पिता किसोरीलाल गेहलोद निवासी फोनेक्स टाउनशिप, , दिनेश पिता नारायण प्रसाद दुबे निवासी परदेशीपुरा, नितेश उर्फ लक्की पिता मुकेश जायशवाल निवासी आदर्श विजासन नगर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

छात्रा से छेड़छाड़ करने वालों का निकाला जुलूस

सभी आरोपी गुना जिले के आदतन अपराधी है

इंदौर. भंवरकुंआ थना क्षेत्र में शनिवार को 6 आरोपियों ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने सभी आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी गुना जिले के आदतन अपराधी है. इनके उपर कई प्रकरण दर्ज है. पुलिस ने आरोपियों का क्षेत्र में जुलूस भी निकाला. इस दौरान आरोपियों से पुलिस ने नारे भी लगवाए.

पुलिस उपायुक्त जोन 4 आनंद यादव ने बताया कि शनिवार को विष्णुपुरी कॉलोनी में स्कार्पियो सवार कुछ बदमाशों ने एक छात्रा के साथ विवाद करते हुए छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को भोपास से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों गुना जिले के आदतन अपराधी है, तथा इनमे से तीन जिलादबर बदमाश है, पकड़े गए आरोपियों में से 21 वर्षीय मंजीत पिता हरिसिंह रघुवंशी, जिस पर गुना में हत्या का प्रयास, बलवा, चाकूबाजी, अड़ीबाजी, रास्ता विवाद कर मारपीट, तोड़फोड़, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब, चोरी के कुल 18 मामले दर्ज है. जिसे गुना पुलिस ने जिलाबदर किया था. वहीं दुसरा आरोपी 28 वर्षीय संदीप पिता शुभनारायण सोलंकी इस पर भी बलवा, अपहरण, बलात्कार, चाकूबाजी, अड़ीबाजी, मारपीट, घरों में घुसना, तोड़फोड़, अवैध हथियार रखना जैसे 21 अपराध दर्ज है. इसी तरह तीसरा आरोपी 29 वर्षीय रवि पिता पदमसिंह नरवरिया मेह गांव जिला भिण्ड का रहने वाला है. इस पर भी अपहरण, बलात्कार, चाकूबाजी, अड़ीबाजी, मारपीट, जैसे 10 अपराध दर्ज है. जिसे 6 माह की अवधी के लिए जिलाबदर किया गया था. तीसरा आरोपी 25 वर्षीय संजय उर्फ बग्गा पिता बलवीर सिंह रघुवंशी पर भी 6 से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज है. चौथे आरोपी 36 वर्षीय सौरभ पिता विजय सिंह रघुवंशी पर भी 18 मामले दर्ज है. वहीं 23 वर्षीय सुभाष उर्फ पण्डा पिता मनोज शर्मा पर भी 10 से ज्यादा अपराध दर्ज है. पुलिस ने सभी आरोपियों का थाना क्षेत्र में जुलूस निकाला.

महिला के शव की हुई शिनाख्त

इंदौर. इंदौर. आजाद नगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक महिला की लाश मिली थी. जिसकी पहचान उसके बेटे ने की. पुलिस महिला के हत्यारे की तलाश में कई जगह छापा मार चुकी है. पुलिस का मानना है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा.

थाना प्रभारी नीरज मेढ़ा ने बताया कि थाना क्षेत्र के विराट नगर के एक घर में रहने वाले राकेश मालवीय के कमरे से महिला का शव मिला बरामद किया था. रविवार दोपहर मिले महिला के तीन दिन पुराने शव का सोमवार को पोस्टमॉर्टम करवाया था. शार्ट पीएम रिपोर्ट के लिए एमवायएच के डॉक्टरों ने और समय मांगा है. मामले में मंगलवार को नया मोड़ तब आया जब मृतक महिला की शिनाख्त उसके बेटे ने की. महिला का नाम ललिता मालवीय सामने आया है. मृतक महिला के बेटे ने गुमशुदगी की रिपार्ट दर्ज करवाने पहुंचा था. अब पुलिस राकेश मालवीय की तलाश कर रही है. महिला उसी के पास आकर रुकी थी, राकेश तीन दिन से लापता है. वह यहां दोस्त हंसराज के साथ रहता था. पुलिस ने उसे कॉल कर बुलाया और हिरासत में ले लिया हंसराज ने अपने बयान में बताया कि वह तो 15 दिन पहले ही राकेश से कहकर अपने गांव गया था. मामले में डीसीपी विनोद मीना का कहना है कि राकेश की तलाश में टीमें कई जगह भेजी गई है. उसके मिलने के बाद स्थिति स्पस्ट होगी, की महिला की मौत कैसे हुई है.

यातायात एसआई को रिक्शा चालक ने पीटा

इंदौर. नगर निगम चौराहे पर मंगलवार की दोपहर में एक रिक्शा चालक ने नशे की हालत में यातायात एसआई से विवाद करते हुए उसे पीटा, जमीन पर घसीटा जिसमें उसकी वर्दी फट गई. हंगामा देख रहे युवकों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. एमजीरोड पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी नशे की हालत में था.

एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा ने बताया कि मंगलवार दोपहर में एक घटना घटित हुई, नगर निगम चौराहे पर एसआई 63 वर्षीय नाथूराम दोहरे एसआई नाथूराम दौहरे अपने साथियों के अन्य साथ उनके साथ यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे. इसी बीच एक ई-रिक्शा चालक रवि कश्यप का किसी अन्य युवक से विवाद हो गया. जिसके चलते चौराहे पर यातायात जाम की स्थिति बन गई. जिसे नाथूराम दोहरे दोनों युवकों को समझाने पहुंचे. चूंकि ई-रिक्शा चालक रवि नशे में था, तो वह उनसे ही विवाद करने लगा. जिससे उनकी वॉकी-टॉकी गिर गई और वर्दी के बटन भी टूट गए. एसआई ने एमजी रोड थाने में ई-रिक्शा चालक रवि के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी रवि आदतन बदमाश है. वह पहले भी इस तरह के मामलों में शामिल रहा है. निकट भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं दोबारा न हों, इसलिए रवि पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है.

आर्थिक तंगी के चलते रिश्तेदार के यहां की थी वारदात

नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार

इंदौर. कल्याण संपत गॉर्डन के सी ब्लॉक में पिछले दिनों हुई नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 लाख का माल भी जब्त किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

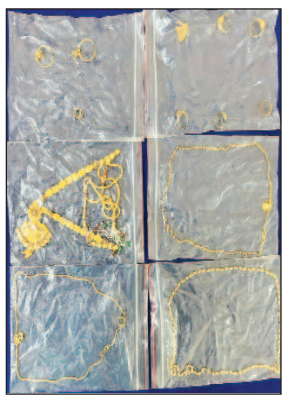

कनाडिया थाना प्रभारी केपी यादव ने बताया कि बुधवार 14 अगस्त को कल्याण संपत गॉर्डन के सी ब्लॉक के फ्लेट नम्बर 609 में रहने वाले 42 वर्षीय कविन्द्र कुमार धर्मपाल ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से पिछले माह चाईना गया हुआ था. जबकि मेरी पत्नी पूजा व फैमिली के सदस्य हांगकांग हॉलीडे के लिए चले गए थे. जब हम घर पर आए तो फ्लेट का मैन गेट खुला था. अंदर जाकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था. घर में रखे सोने चांदी के जेवरात के साथ ही कुछ नगदी भी कोई अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया. पुलिस की जांच में पता चला कि घटना को अंजाम देने वाला कोई परिचत ही हो सकता है. फरियादी की पत्नी के दूर का रिश्तेदार चाचा इनके विदेश जाने के बाद यहां आया था. इस पर पुलिस ने ग्राम बरामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में रहने वाले 51 वर्षीय सुभाषचन्द्र राजपूत को उसके घर से गिरफ्तार कर इंदौर ले आए. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीन सोने की चेन, एक सोने का नेकलेस, 6 सोने की अंगुठियां, एक जोड़ सोने की एयररिंग्स, एक जोड़ सोने के झूमके सहित नगदी माल जब्त कर लिया. आरोपी

लुटेरी दुल्हन गिरोह सहित पकड़ाई

क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश

इंदौर. क्राईम ब्रांच ने शातिर लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दुल्हन सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया आरोपी नाम व सरनेम बदलकर फर्जी कागजात बनाकर शादी करवाते थे. धोखा देकर रुपये एवं ज्वेलरी लेकर भाग जाते थे. क्राईम ब्रांच ने सभी आरोपियों को दुल्हन सहित गिरफ्तार कर लिया है.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि क्राईम ब्रांच की टीम ने शातिर लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दुल्हन के साथ ही उसके साथियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह के सदस्यों ने भारत के कई राज्यों में संभ्रांत परिवार के घर के लड़कों को निशाना बनाकर दुल्हन के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से उसकी असली शादी करवा देते थे. जिसके बाद आरोपी शादी में आई ज्वेलेरी के साथ नगदी भी लेकर भाग जाते थे. इस तरह आरोपियों ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है. अपराध शाखा की टीम इनका पर्दाफाश करने के लिए लगातार काम कर रही थी. जिसमें उन्हें अब सफलता मिली है. पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों तुकोगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाली गोमा की फेल में रहने वाले फरियादी संदीप पिपलिया ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके साथ लुटेरी गैग के लोगों ने कूटरचित दस्तावेज बनाकर उसके साथ शादी की, जिसके बाद दुल्हन ने शादी में मिले सोने चांदी के जेवर के साथ ही लाखों रुपए की नगदी भी लेकर फरार हो गई. अपराध शाखा की टीम जांच पड़ताल कर खातीपुरा में रहने वाली वर्षा, बारोली में रहने वाली सुनीता उर्फ बसंती बाई व बारोली के ही विजय कटारिया के साथ सिंगापुर टॉउनशिप में रहने वाली रेखा को गिरफ्तार किया है.

मुंबई व राजस्थान के लोगों को ठगा

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सभी लूटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्य है. जिसमें वर्षा की शादी फर्जी दस्तावेज बनाकर कर देते थे. इसी तरह हमने फर्जी परिवार बनकर मुम्बई में रहने वाले दीपेश व राजस्थान में रहने वाले लक्ष्मण के साथ फर्जी शादी कर उनसे रुपए व ज्वेलरी हड़प ली थी. इसी प्रकार वर्षा नें अपने पति संदीप से शादी कर उससे भी काफी रुपए व ज्वेलेरी धोखा देकर ले गई. अपराध शाखा की टीम ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

फोटो वायरल करने की धमकी देकर रिश्ता तुड़वाया

इंदौर. श्रद्धाश्री कॉलोनी में रहने वाली एक युवती का फोटो वायरल करने की धमकी देकर रिश्ता तुड़वा दिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की. एमआईजी पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मेरी जे जगदीशन से दोस्ती हुई उसके बाद हम साथ मे घुमने जाने लगे. इसी दौरान जे. जगदीशन ने मेरे साथ किस लेते हुए सेल्फी फोटो खींच लिया. बाद मे इस फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा. जिससे मेरा शादी का रिस्ता हुआ तब जे जगदीशन ने किस वाला फोटो मेरे मंगेतर को भेज दिया. जिससे मेरा रिस्ता टूट गया. पीड़िता के परिवार पापा दयाल सिंह नागौत्रा, भाई हिमांशु नागौत्रा तथा बहन पूजा नागौत्रा को काल कर व मैसेज कर परेशान करता है एंव बोलता हैं तुम्हारे सभी फ्रेण्ड को यह वायरल करूंगा और यूट्यूब में तुम्हारा वीडियो बनाकर तुम्हारी फोटो वायरल करूंगा.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(CIN: L65110TN2014PLC097792)
IDFC FIRST Bank
पंजीकृत ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 7वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022
अधिकृत अधिकारी - श्री गौरव अग्रवाल, संपर्क नंबर - 9893337555
अधिकृत अधिकारी - श्री संदेश जैन, संपर्क संख्या - 8839140796

निजी संधि द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत बिक्री के लिए संपत्ति

जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 13(4) के तहत प्लॉट संख्या 169/1 और 169/ए-1, औद्योगिक क्षेत्र, स्नेवर रोड, इंदौर, सेक्टर एफ, प्लॉट क्षेत्रफल -1624 वर्ग मीटर के सभी टुकड़े और पार्सल की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है और इस प्रकार से घिरा हुआ है- पूर्व- 20 मीटर चौड़ा मार्ग, पश्चिम- प्लॉट सं. 166/बी, उत्तर- 20 मीटर चौड़ा मार्ग और दक्षिण- प्लॉट सं. 169/बी और 169/बी-1 ('सुरक्षित संपत्ति') हिमालय फूड प्रोडक्ट्स, भीमनदास रमानी, ज्योति चावला, प्रकाश चावला और संदीप रमानी (उधारकर्ता) के ऋण खाता सं. 11760316 और 15228689 के संबंध में. प्राधिकृत अधिकारी को SARFAESI अधिनियम के तहत उपर्युक्त सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए एक संभावित खरीदार से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है. अब, प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के अनुसार निजी संधि द्वारा उपरोक्त संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस दे रहा है. बिक्री 'जहां है जैसा है' और 'जो है जैसा है' के आधार पर होगी.

गिरवी रखी गई संपत्ति का पता	प्लॉट क्रमांक 169/1 और 169/ए-1, औद्योगिक क्षेत्र, स्नेवर रोड, इंदौर, सेक्टर एफ, प्लॉट क्षेत्रफल - 1624 वर्ग मीटर और, सीमा- पूर्व- 20 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम- प्लॉट क्रमांक 166/बी, उत्तर- 20 मीटर चौड़ी सड़क और दक्षिण- प्लॉट क्रमांक 169/बी और 169/बी-1.
आरक्षित मूल्य	रु. 28000000.00/- (दो करोड़ अस्सी लाख रुपये मात्र)
निजी संधि की नीलामी तिथि	30-सितंबर-2024

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को मांग नोटिस में उल्लिखित राशि यानी रुपये का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है. 38052647.64/- (रुपए तीन करोड़ अस्सी लाख बावन हजार छह सौ सैंतालीस और पैसे चौसठ मात्र) ब्याज और सहायक खर्चों के साथ 30-सितंबर-2024 से पहले, ऐसा न करने पर संपत्ति निजी संधि द्वारा बेची जाएगी.
दिनांक:- 11.9.2024 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान:- इन्दौर **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**

समस्या | **वार्ड 46 के विकास नगर में रहवासी गंदगी से परेशान**

बेक लाइन और चेंबर की नियमित नहीं होती सफाई

इंदौर. स्वच्छता को लेकर नगर निगम की पकड़ अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है. जहां कम न करने पर कर्मचारियों पर भी सख्त का कारवाई की जाती थी. वहीं आज कई शिकायतों के बावजूद क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा.

एक ऐसा ही मामला वार्ड क्रमांक 46 का सामने आया है. जहां सफाई को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है. नेहरू नगर के पीछे बैरवा धर्म शाल के पास बसे विकास नगर में अधिकांश सफाईकर्मी रहते है. जिनकी नौकरी नगर निगम में है. बावजूद इसके की क्षेत्रवासी सफाई सीवरेज और बैक लाईन की समस्यां से परेशान है. बात करें सड़क सफाई की तो यहां सफाईकर्मी अपनी मनमानी कर सड़क सफाई पर ध्यान नहीं देते. चेंबर की भी नियमित सफाई नहीं होती जिस से सड़कों पर गंदगी बहती है. घरों के पीछे की बैक लाईनों की तो बदहाली है. बैक लाईनें ओंवरफ्लो हो कर गंदगी से भरी पड़ी है जिससे क्षेत्र में मच्छरों और दुर्गंध से फैली रही है. कई बार यहां के रहवासियों ने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला. जबकि इस क्षेत्र में नगर निगम कर्म ही निवास करते हैं. जब इन लोगों की सुनवाई नही हो रही है तो आम जनता का हाल तो मत पूछिए.

इनका कहना है...

चार पाच दिन से कचरा पड़ा है. इन्हें उठना चाहिए. कचरा आधा उठाते व आधा छोड़ देते हैं. हम अपने घरों का कचरा कहां लेकर जाएं. कैमरे लगा रखे हैं. बाहर डालों तो नगर निगम वाले चालन बना जाते है.

- कला बाई

बैक लाईन बेहाल है. चेंबर बार-बार चौक हो जाते हैं. उससे गंदगी बहकर बाहर बहने लगती है. शिकायत कर कर के हम परेशान हो गए. मगर सुनवाई नही होती है. हम चाहते है नियमित सफाई हो.

- राजेश दावरे

जब उन्हें सफाई करने को कहते हैं तो सफाई कर्मी कहते है क्या तुम लोग सैलरी देते हो. क्या त्यौहारों पर लाखों रूपए इनाम देते हो क्या? चेंबर भी साफ नहीं करते. सड़क की सफाई भी सही नही करते.

- कुसुम बाई

वार्डवासी सीधे मुझसे संपर्क करें -मैंने अपना कार्यालय वार्ड के पास ही रखा है ताकि कोई शिकायत आने पर तुरंत निदान किया जा सके. वार्ड में जहां समस्या है वार्डवासी सीधे मुझसे संपर्क करें. मैं खुद मौके पर पहुंच कर निराकरण करवाउंगी.

- सैफू कुश्वाह पार्षद

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.
ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय- 9, एम.पी. नगर, 1वीं स्ट्रीट, कांगु नगर ई एक्सटेंशन, तिरुपुर-641 607, तमिलनाडु. **दूरभाष-** (0421) 2221144 **कॉर्पोरेट कार्यालय-** कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028, महाराष्ट्र, **दूरभाष संख्या-** (022) 26544000, ईमेल- mumbai@omkaraarc.com
www.omkaraarc.com. CIN: U67100TZ2014PTC020363

[परिशिष्ट-IV-A] [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] नियम 9(1) के साथ पढ़ें अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस]

ई-नीलामी की तिथि- 1 अक्टूबर 2024

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पढ़ें. इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी/प्रभारित की गई है, धारा 13(2) के प्रावधान के तहत अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग में बेची जाएगी और SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार 'जहां है, जैसा है' और 'जो कुछ भी है' तथा 'बिना किसी सहारे के' 01.10.2024 को प्रातः 11.00 बजे (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 30.09.2024 को सायं 4.00 बजे तक है) बकाया राशि की वसूली के लिए.
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो ओमकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट (OARPL) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है, ने उपरोक्त उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के विरुद्ध पड़े संपूर्ण बकाया ऋणों को असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 26 फरवरी 2021 के माध्यम से फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ अधिग्रहित कर लिया है. तद्नुसार, OARPL ने मूल सुरक्षित ऋणदाता FICCL के स्थान पर कदम रखा है तथा बकाया राशि वसूलने और प्रतिभूतियों को लागू करने का हकदार बन गया है.
उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का विवरण तथा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता से OARPL को देय ब्याज और व्यय सहित बकाया राशि और अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि तथा ज्ञात भार (यदि कोई हो) निम्नानुसार है:-

ऋण खाते का विवरण	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
1. मेसर्स एशियन पेंट एजेंसी (देनदार) 2. श्री विपिन कुमार दोशी (सह-देनदार) 3. श्री अर्पित दोशी (सह-देनदार) 4. श्रीमती उषा दोशी (सह-देनदार) 5. श्रीमती नंदी बाई दोशी (सह-देनदार) 5. श्री हर्षित दोशी (सह-देनदार)	पहली और दूसरी मंजिल, दुकान नं. 50, मकान नं. 7/5, मुराई मोहल्ला, छोटी ग्वालटोली, इंदौर. (संपत्ति का क्षेत्रफल 1 मंजिल, 345 वर्ग फीट, दूसरी मंजिल, 345 वर्ग फीट)	रु. 50,35,000/- (रु. पचास लाख पैंतीस हजार मात्र)	रु. 5,03,500/- (रु. पांच लाख तीन हजार पांच सौ मात्र)	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)

बकाया राशि	1,23,40,897/- प्लस भुगतान की तारीख तक का भविष्य का ब्याज और व्यय और सभी बकाया राशि की वसूली. (दिनांक 11 जनवरी, 2018 की मांग सूचना के अनुसार)
कब्जे की स्थिति	19 मई, 2023 को OARPL के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा लिया गया.
निरीक्षण की तिथि	26 सितंबर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के बीच.
भागीदारी के लिए बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय	30 सितंबर, 2024 को शाम 4.00 बजे तक OARPL के शाखा कार्यालय में स्थित B-219, अंसल चैंबर 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 या ई-मेल आईडी- ankur.rastogi@omkaraarc.com/ manbir.chawla@omkaraarc.com पर। इसके अलावा, आप OARPL अधिकारियों से 82189 04686/99688 75743 पर संपर्क कर सकते हैं.
कोई भी भार	अज्ञात
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए www.omkaraarc.com/ http://omkaraarc.com/ auction.php या www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है. इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करना होगा और घोषणा देनी होगी.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए)
दिनांक- 9.9.2024